

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-53/2017/3002/चि0-3-17-टी-1(87)/2017,
लखनऊ : दिनांक : 24 अक्टूबर, 2017

कार्यालय जाप

तात्कालिक प्रभाव से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को जनहित में स्थानान्तरित करते हुए तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित स्थान से तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर एतद्वारा तैनात किया जाता है :-

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम/वरि0क्र0/लेवल/विशेषज्ञता	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	डा0 विजय कुमार सिंह/6622/3/रेडियोलॉजिस्ट	कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती (उपमुख्य चिकित्साधिकारी)
2	डा0 सिल्की जजौडिया/ले0-1/स्त्रीरोग विशेषज्ञ	जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती (स्त्रीरोग विशेषज्ञ)
3	डा0 नासिर कमाल/11952क/2/स्त्रीरोग विशेषज्ञ	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती	जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच (स्त्रीरोग विशेषज्ञ)
4	डा0 रमेश चन्द्र/11955क3/2/निश्चेतक	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती (निश्चेतक)
5	डा0 सर्वेश कुमार शुक्ला/11623क2/3/सर्जन	जिला चिकित्सालय, बहराइच	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती (सर्जन)
6	डा0 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव/8848/4/रेडियोलॉजिस्ट	बाबू ईश्वरसरन जिला चिकित्सालय, गोण्डा	अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती (रेडियोलॉजिस्ट)

2- उक्त चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायें।

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या-53/2017/3002(1)/चि-3-17, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित कि वे सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को अपने स्तर से आदेश की प्रति अनुपालनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच/श्रावस्ती।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बाबू ईश्वरसरन जिला चिकित्सालय, गोण्डा/जिला चिकित्सालय, बहराइच।
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रावस्ती/बहराइच/गोण्डा।
8. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच/श्रावस्ती/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बहराइच/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बाबू ईश्वरसरन जिला चिकित्सालय, गोण्डा/जिला चिकित्सालय, बहराइच।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
11. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से
जे0एल0 यादव)
अनु सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।